ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख
11/219	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी उप०। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि पत्रावली में प्रतिवादी सं० 2 की मृत्यु की सूचना दिनांक 13/2/09 को वकील वादी को दी गई थी। वकील वादी ने आज दिनांक तक कायम मुकाम पेश नहीं किये है। जबकि कायम मुकाम पेश करने का ~~अवधि~~ निर्धारित समय 90 दिवस है। अत: 90 दिवस में कायम मुकाम पेश नहीं करने से दावा NON compalane में दावा उप समाप्त किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी सं० ② लच्छा पु० चमना की मृत्यु की सूचना देना आदेशिका दिनांक 13/2/09 में अंकित है। वकील वादी द्वारा दिनांक 13/2/09 से आज दिनांक तक कायम मुकाम पेश नहीं किया है अत: दावा/वाद NON compalance में खारीज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो कर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी समेरपुर (पाली)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.14 18:08:20 IST
Reason: SelfAttested